तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.8.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 10.9.20 को पेश हो।	
10.9.20	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने सूची दस्तावेज पूर्व मे पेश किये गये जिसे शा-प० किये गये। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जिसे शा० प० किया गया। उभयपक्षो ने बहस करनी चाही। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो, संलग्न दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की जब कि विपक्षी ने प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया, उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, विवादित आराजियात ग्राम चांखेड पटवार हल्का-चांखेड तहसील माण्डल मे स्थित होकर प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगु पिता रामा साकिन देह राजस्व कर्मचारियो ने भूलवश एवं सेवन से अंकित कर दिया। जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम लेहरू पिता रामा है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद आराजियात का विरासत से नामान्तरण प्रार्थीगण के नाम खोला गया जिसमे भूलवश व त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगू अंकित कर दिया गया। जब कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम लेहरू है। प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगू न होकर लेहरू है। जिसकी ताईद प्रार्थीगण के आधार कार्ड की फोटो प्रति, मतदाता फोटो पहचान पत्र ... की कॉपी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 17:29:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक अधिकारी

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

शपथपत्र, बैंक की रिर्पाट आदि से होती है उसी के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहते है, ताकि राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्त किया जा सके।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अतः

आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चांखेड पटवार हल्का चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के खाता सं. 163 मे आराजी नं. 789 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नं. 1389 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 09 बिस्वा एंव खाता संख्या 164 मे आराजी नं. 791 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा व खाता सं. 162 मे आराजी नं. 268 रकबा 15 बिस्वा आराजी नं. 347 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, आराजी नं. 722 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नं. 729 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नं. 779 रकबा 06 बिस्वा आराजी नं. 78.6 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नं. 792 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नं. 793 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नं. 1384 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नं. 1392 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नं. 1467 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नं. 2051/1468 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का नाम मांगु के बजाय मांगु उर्फ लेहरू अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है, उसी अनुसार भूमि प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 17:29:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner